अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु – 52 /95 जिला –सागर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8.09.2015	आवेदक की ओर से श्री एस0के0 अवस्थी अधिवक्ता उपस्थित । अनावेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 860/93 में पारित आदेश दिनांक 13.3.95 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रकरण कमांक 52/95 के तथ्यों पर आवेदक पक्ष के अधिवक्ता के तर्क सुने गये । आवेदक की ओर से पुनरावलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 860/93 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 13.3.95 से किया जा चुका है ।	

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनरावलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

1– नई एवं महत्वपूर्ण बात /साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था , सम्यक तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।

2–अभिलेख से प्रकट कोई भूल /गलती ।

3– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों ।

सदस्य

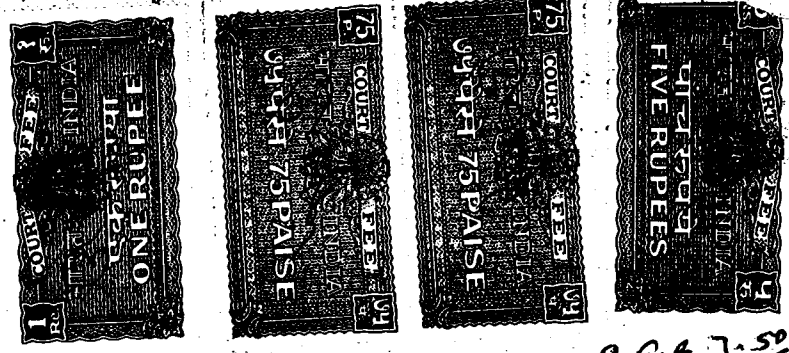

C.C.A 7.50

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

रिव्यू/11-ए/ए5 2135 -----

प्रकरण क्रमांक /९५ पुनराविलोकन

सीताराम पुत्र कन्हैयालाल, निवासी
ग्राम मढ़ी जमुनिया, तहसील देवरी
जिला सागर, म०प्र० -- प्रार्थी

विरुद्ध

श्रीराम पुत्र कन्हैयालाल, निवासी
ग्राम मढ़ी जमुनिया, तहसील देवरी,
जिला शिवपुरी सागर, मध्यप्रदेश
-- प्रतिप्रार्थी

एस० के० अवस्थी 4.9.95

4.9.95

पुनराविलोकन विरुद्ध आदेश माननीय सदस्य महोदय राजस्व मण्डल, म०प्र० (श्री डा० एस०सी०मजूमदार) दिनांक १३-३-९५ अन्तर्गत धारा ५१ म०प्र० भू राजस्व संहिता। प्र०क्र० ८६०/९३ निगरानी

श्रीमान,

पुनराविलोकन का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

(१) यहकि माननीय न्यायालय का आदेश कानूनन सही नहीं है।

(२) यहकि इसमाननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी में तर्क के समय यह विवाद प्रस्तुत किया गया था कि दीवानी न्यायालय में प्रकरण लंबित होने के दौरान क्या राजस्व न्यायालयों में प्रचलित प्रकरण की कार्यवाही को स्थगित किया जा सकता है अथवा नहीं इस सम्बन्ध में प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा १९७९ आर०एन० ७०७ का न्याय उदाहरण प्रस्तुत किया

---- २